कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर

फोन.नं. 2535780,90, फैक्स : 0771–2227395
E-mail :- dc-rme@rediffmail.com

ज्ञापन

क्रमांक......../भ.नि.अ.प्र./न.पा.नि /2011 रायपुर दिनांक ...../08/11

प्रति,

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक 1,2,3,4,5,6,7 व 8,
नगर पालिक निगम, रायपुर

AE (T.P)

विषय :– **भूमिगत जल संरक्षण के संबंध में।**

संदर्भ :– 1. उपसचिव छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक– 6702/7733/18/2009 दिनांक 30.12.2009

2. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक– 5345/4273/18/2011 दिनांक 23.07.2011

----000----

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में सूचित है कि भूमिगत जल संरक्षण की दिशा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को जन कल्याणकारी योजना की परिधि में सम्मिलित करते हुए संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। (छायाप्रति संलग्न) कृपया संदर्भित पत्र में उल्लेखित निर्देशो का पालन करते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सभी भवन निर्माणकर्ताओं को पालन कराना सुनिश्चित करें।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम
रायपुर

पृ. क. ..../भ.नि.अ.प्र./न.पा.नि /2011 रायपुर दिनांक ...../08/11

प्रतिलिपि :–

1. महापौर/सभापति, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. भार साधक सदस्य, नगर निवेश विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अतिरिक्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कार्यपालन अभियंता (जल), नगर पालिक निगम, रायुपर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम,
रायपुर

{ FILENAME \p }

छत्तीसगढ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

क्रमांक /4273/18/2011 रायपुर दिनांक /07/2011

प्रति

1. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम
छत्तीसगढ।

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद / नगर पचायत
छत्तीसगढ।

विषय :- भूमिगत जल संरक्षण के संबंध में।

संदर्भ :- विभाग का पत्र क्रमांक 6702/7733/18/2009 दिनांक 30.12.2009

---00---

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा भूमिगत जल संरक्षण के सबंध मे प्रसारित की गई अनिवार्यता, प्रक्रिया एव सुरक्षा राशि को यथा युक्तियुक्त करते हुए निम्नानुसार सशोधित निर्देश जारी किये जाते हैं –

01 भवन अनुज्ञा अनुज्ञात किये जाने वाले, 150 वर्गमीटर से अधिक आकार भूखण्डों के लिए वर्षा जल संरक्षण हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिग सिस्टम का प्रावधान किया जाना अनिवार्य होगा।

02. 150 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डो मे वर्षा जल सरक्षण हेतु छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 परिशिष्ठ–ढ–1, ढ–2 एवं ढ–3 के विकल्पों के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिग सिस्टम स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।

03. 150 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों पर भवन निर्माण की अनुज्ञा जारी करने के पूर्व, आवेदक से सुरक्षा राशि जमा कराई जावेगी। सुरक्षा राशि मात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंकों/डाकघर द्वारा जारी सावधि जमा रसीद (फिक्स डिपॉजिट) जो निकाय के यथा आयुक्त/मु.न.पा. अधिकारी के पक्ष में देय हो, के रूप मे जमा कराई जावेगी। निकाय द्वारा इस मद मे नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जावेगा।

--2--

04 भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने एव रेनवाटर हार्वेस्टिग सिस्टम कडिका–2 के अनुस सतोषप्रद ढग से स्थापित किये जाने की निकाय द्वारा निरीक्षण उपरान्त पुष्टि क लिये जाने के उपरात सुरक्षा राशि की सावधि जमा रसीद, निकाय द्वारा अवमुक्त क वापिस की जावेगी।

05. भवन स्वामी द्वारा अनुज्ञा की अवधि में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण ए रख–रखाव स्थापना प्रावधानित विधि से पूर्ण नही किये जाने की स्थिति मे आवेदक : जमा कराई गई सुरक्षा राशि की सावधि जमा को ब्याज सहित निकाय के पक्ष राजसात किया जावेगा एव उक्त राजसात की गई राशि से सबधित निर्मित भवन ह भूखण्ड के खुले भाग मे रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कराया जावेगा। उक राशि निकाय द्वारा व्यय किये जाने की स्थिति में सबधित निकाय के ..यह आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे।

06. <u>सुरक्षा / राशि</u>

एकल इकाई भवनो, रो–हाऊसिंग एवं कॉलोनी विकास के प्रकरणो मे सुरक्ष राशि की गणना निम्नानुसार की जाकर, आरोपित की जावेगी।

(अ) <u>एकल इकाई भवन (Singal Unit)</u> :– एकल इकाई भवन हेतु सुरक्षा राशि क गणना सपूर्ण भूखण्ड क्षेत्रफल पर रू. 55.00 प्रति वर्गमीटर की दर से क जावेगी, किन्तु इस श्रेणी के भवनों के लिए सुरक्षा राशि की अधिकतम सीम रू. 15,000.00 होगी।

(ब) <u>रो–हाऊसिंग (Row Housing)</u> – रो–हाऊसिंग योजना के अतर्गत सुरक्षा राशि की गणना भूखण्ड क्षेत्रफल जिस पर भवनो का निर्माण प्रस्तावित है, पर रु 55.00 प्रति वर्गमीटर की दर से तथा शेष क्षेत्र के क्षेत्रफल पर राशि रू. 1.0 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से गणना कर अधिरोपित की जावेगी, कि' रो–हाऊसिंग के सपूर्ण योजना अभिन्यास के लिए सुरक्षा राशि की अधिकत सीमा राशि रूपये 10.00 लाख होगी।

(स) <u>ग्रुप हाऊसिंग (Group Housing)</u> :– ग्रुप हाऊसिंग के लिए सुरक्षा राशि क गणना एव अधिकतम सीमा कंडिका–6 (ब) रो–हाऊसिंग के समान होगी।

(द) <u>बहुइकाई भवन (Group Housing)</u> :– बहुइकाई भवनों के लिए सुरक्षा राशि की गणना सपूर्ण भूखण्ड क्षेत्रफल का रू. 55.00 प्रति वर्गमीटर की दर से क जावेगी, किन्तु अधिकतम सीमा, इकाईयो की सख्या x 15,000.00 रु ह गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि से अधिक नहीं होगी।

(इ) <u>कॉलोनी विकास (Development of Colony)</u> – कॉलोनी विकास के प्रकरणों में सुरक्षा राशि की गणना भूखण्डो एवं सडक की भूमि को छोडकर शेष क्षेत्रफल पर राशि रू. 1.00 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से की जावेगी किन्तु सुरक्षा राशि की अधिकतम सीमा रू. 10.00 लाख होगी।

कॉलोनी मे भूखण्ड क्रय करने वाले हितग्राहियों से सुरक्षा कंडिका 6 (अ) के अनुसार गणना कर आरोपित की जावेगी ।

(फ) <u>वाणिज्यिक / सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक / औद्योगिक भवनों / परिसरों</u> के प्रकरणो मे भी सुरक्षा राशि की गणना रू. 55.00 प्रति वर्गमीटर की दर से भूखण्ड के सपूर्ण क्षेत्रफल पर की जावेगी, किन्तु सुरक्षा राशि की अधिकतम सीमा राशि रू. 10.00 लाख होगी ।

निकाय द्वारा भवन निर्माण / छ.ग. नगर पालिका कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्तें नियम 1998 के तहत यथा निर्माण विकास की अनुज्ञा जारी करने के पूर्व अन्य देय कर / शुल्क की राशि जमा कराये जाने के साथ ही सुरक्षा राशि (F.D.R. के रूप मे) जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा ।

07. निकाय द्वारा, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अभिन्यास पर 200 वर्ग मी. आकार के भूखण्डो पर भवन निर्माण की अनुज्ञा दिए जाने हेतु छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27 (3) के अनुसार पंजीकृत वास्तुविद, सरचना इजीनियर / इंजीनियर द्वारा भी 150 वर्ग मी. से अधिक एव 200 वर्ग मी. से अनधिक आकार के भूखडों से निर्माण की अनुज्ञा जारी करने के पूर्व कंडिका 4 का अनुपालन करते हुए कंडिका (6) के अनुसार सुरक्षा राशि सावधि जमा रसीद के रूप मे जमा कराई जाने के उपरांत ही निर्माण की अनुज्ञा जारी कर सकेगे तथा सावधि जमा रसीद निकाय में जमा कराकर पावती प्राप्त करेगें।

08. <u>रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित नहीं किये जाने पर शास्ति</u> – ऐसे भवन जो 150 वर्गमीटर से अधिक आकार के भूखण्ड पर पूर्व से निर्मित है तथा उनमें रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान अद्यतन नहीं किया गया है पर प्रतिवर्ष भूखण्ड क्षेत्रफल पर प्रति 100 वर्गमीटर पर रू. 1,000.00 के मान से वार्षिक शास्ति आरोपित की जावेगी। इस प्रकार की शास्ति तब तक आरोपित की जावेगी जब तक कि भवन स्वामी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कर नगरीय निकाय को इसकी लिखित सूचना नही दी जाती है।